न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :–सावन कुमार चायल (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 65/2016
निर्णय दिनांक 19/05/2017

1. गंगासहाय पुत्र रामप्रसाद दत्तक पुत्र नारायणी पत्नि श्रवण जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डालिया जोगा तहसील फागी जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. जिला कलेक्टर महोदय, जयपुर।
2. मन्दिर श्री सीमारामजी मण्डालिया जोगा, तहसील फागी।
3. तहसीलदार महोदय तहसील फागी
4. उपतहसीलदार महोदय / उपपंजीयक माधोराजपुरा तहसील फागी।

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1. विनोद जैन विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
2. सीताराम सैनी विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी

–:निर्णयः– दिनांकः–19/05/2017

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण निम्न प्रकार पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 20, 48, 50, 51, 52, 53, 111, 112, 122, 151, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 372 कुल किता 18 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा की भूमि वाके ग्राम मण्डालिया जोगा पटवार हल्का झाडला तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तदार है, एवं मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि को आगे के पैराज मे विवादित भूमि से सम्बोधित किया गया है।

यह कि प्रार्थी का सिजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

रघुनाथ
↓
बेवा कोयली
↓
श्रवण (पुत्र फौत)

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

नारायणी बेवा (श्रवण)

गंगासहाय (दत्तक पुत्र नारायणी बेवा श्रवण)

इस प्रकार रघुनाथ जो प्रार्थी के दादा थे का स्वर्गवास स्मवत् 2011 से पूर्व हो गया, इसलिये रघुनाथ की उपरोक्त समस्त भूमि का पर्चा खातेदारी सम्वत् 2011 से मुस्तमा कोयली के नाम जारी हुआ, कोयली के फौत होने के पश्चात् श्रवण जो कोयली से पूर्व ही फौत हो चुका था, इस आधार पर कोयली की एकमात्र वारिस उसकी पुत्र वधु नारायणी के नाम विवादित भूमि की खातेदारी दर्ज हुई तथा नारायणी के कोई जायन्दा औलाद नही है और उसका प्रार्थी दत्तक पुत्र है , विवादित भूमि पर प्रार्थी उपरोक्त सिजरें अनुसार मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है, और प्रार्थी की और से उक्त वाद बहैसियत वारिश प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि उपरोक्त विवादित भूमि के पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत् 2011 से पूर्व मिशल हकीकत बन्दोबस्त सम्वत् 1994 में खसरा नम्बर 34, 35, 36, 37, 109, 110, 119, 123, 279, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 थे, इन नम्बरो का सम्वत 1994 जो निजामत सवाई जयपुर में था जिस पर प्रार्थी के दादा रूघा वल्द जगन्नाथ बहैसियत खातेदार काबिज काश्त थे, इस आधार पर उपरोक्त भूमि का जो पर्चा हकीकत बन्दोबस्त सम्वत् 1994 "रूघा वल्द जगन्नाथ कौम ब्राहम्ण साकिन देह के नाम से "जारी हुआ, उक्त पर्चा हकीकत बन्दोबस्त जारी होने के पश्चात सम्वत 2011 से पूर्व प्रार्थी के दादा रूघा वल्द जगन्नाथ का देहान्त हो गया, उनके काबिज काश्त के आधार पर उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर मद नम्बर 01 के अनुसार पर्चा खातेदारी सम्वत 2011 "माफी सीताराम जी पुजारी मु0 कोयली बेवा रूघनाथ कौम ब्राहम्ण" के नाम से गलत जारी हो गया उक्त पर्चा सीधे रूप से प्रार्थी के दादा रूघनाथ जो बहैसियत खातेदार थे, के फौत होने पर मुस्तमा कोयली बेवा भूमि पर रघुनाथ के नाम से जारी होना चाहिये था।

यह कि उपरोक्त विविदित भूमि का पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत् 2011 माफी सीताराम जी पुजारी मु0 कोयली बेवा रूघनाथ के नाम से जारी हुआ, उसके पश्चात उपरोक्त भूमि की खातेदारी इसी प्रकार दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि में जो माफी का अंकन था वह प्रार्थी के दादा की उपरोक्त विवादित भूमि खातेदारी की थी तथा उसके पश्चात मु0 कोयली की खातेदारी की थी, जो माफी या अनुदान में प्रार्थी के दादा व दादी को नही दी गई बल्कि उपरोक्त भूमि प्रार्थी के दादा की एक मात्र खातेदारी की भूमि थी इसी आधार पर आगे जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023 मुस्तमा कोयली बेवा रघुनाथ के नाम से जारी हुआ। इस प्रकार उपरोक्त भूमि कभी भी माफी या माफी मन्दिर सीताराम जी की नही रही, उपरोक्त भूमि से माफी अनुदान या माफी मन्दिर का कभी कोई संबंध व सरोकार नही रहा, सीताराम जी का कोई मन्दिर वाके ग्राम मण्डालिया जोगा मे नही है, तो विवादित भूमि का माफी सीताराम जी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। मुस्तमा कोयली या उसके पति रघुनाथ कभी भी सीताराम जी के पुजारी नही रहें, सम्वत 2011 में जो पर्चा सेटलमेन्ट जारी हुआ वह गलती से माफी सीताराम जी पुजारी का जारी हो गया उसके पश्चात उपरोक्त जो गलत इन्द्राज था, वह सम्वत 2016 में हटा दिया गया और उपरोक्त भूमि की प्रार्थी की दादी खातेदार थी, उसी अनुसार उसका बहैसियत खातेदार सम्वत् 2020 से लगातार चौसाला जमाबंदी मे दर्ज रहा तथा कोयली के फौत होने के पश्चात उपरोक्त भूमि की खातेदारी सम्वत 2036 से 2039 में मु0 नारायणी बेवा श्रवण के नाम दर्ज हुई जो लगातार सम्वत 2049 से 2052 तक दर्ज रही जो आज तक चली आ रही है, मु0 नारायणी का स्वर्गवास हो गया उसके पश्चात उसका एकमात्र वारिश प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज काश्त है तथा वर्तमान में उसके द्वारा काश्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कानी (जयपुर)

यह कि प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि की खातेदारी जो प्रार्थी की दत्तक माता मु0 नारायणी बेवा श्रवण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी, उसको अप्रार्थी के द्वारा "श्रीमान जिलाधीश के आदेश क्रमां राजस्व/91/37,53/दिनांक 11/92 के पुजारी का नाम हटवाकर मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सीधे रूप से खातेदारी" का अंकन दर्ज कर दिया गया इस प्रकार अप्रार्थी के द्वारा सीधे रूप से जो उपरोक्त अंकन किया गया है, वह वास्तविक तथ्यों एवं रिकार्ड के बिल्कूल विपरीत है उक्त तथ्य की चूंकि नारायणी बेवा श्रवण का देहान्त हो चुका था और उसकी खातेदारी की जगह प्रार्थी के नाम नामान्तकरण खोलने बाबत प्रार्थी ने हल्का पटवारी से कहा तो हल्का पटवारी ने प्रार्थी से कहा कि उपरोक्त भूमि राज्य सरकार व श्रीमान जिलाधीश के आदेश से मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम की जा चुकी है जिस पर प्रार्थी को बडा आश्चर्य हुआ और उसके द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि से संबंधित समस्त दस्तावेज की प्रमाणित अलिपिया प्राप्त की गई तथा विवादित भूमि से संबंधित रिकार्ड सम्वत 1994 से आज तक का प्राप्त कर प्रार्थी के लिये आवश्यक हुआ कि वह उपरोक्त जो माफी मन्दिर के नाम इन्द्राज कर दिया गया है उसे दूरस्त किये जाने हेतू वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया जा रहा है।

यह कि विवादित भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तदार है और मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है और विवादित भूमि पर काश्त पर अपनें परिवार का लालन पोषण करता चला आ रहा है उपरोक्त भूमि की खातेदारी सीधे रूप से राज्य सरकार के आदेशो से श्रीमान जिलाधीश के आदेश क्रमांक से मन्दिर सीताराम जी के दर्ज कर दी गई जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये परिपत्र के विपरीत है, क्योकि उपरोक्त भूमि कभी भी माफी मन्दिर या मन्दिर सीताराम जी के नाम दर्ज नही रही , उपरोक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में प्रार्थी के दादा रूघा पुत्र जगन्नाथ के नाम थी जो जागीरदार के समय से उक्त भूमि के शिकमी, कदीमी खातेदार थे, तथा उसके पश्चात पर्चा खातेदारी मु0कोयली के नाम जारी हुआ मात्र माफी सीताराम जी के गलत अंकन जो बाद मे हटा दिया गया के आधार पर जिस प्रकार से प्रार्थी की खातेदारी हटाकर माफी मन्दिर के नाम दर्ज कर दी गई जिससे प्रार्थी के अधिकारों का हनन हुआ है तथा जिसके बाबत प्रार्थी ने अप्रार्थी व जिलाधीश महोदय के यहां काफी चाराजोही की लेकिन उनके द्वारा प्रार्थी को कोई रिलिफ नही दी गई तथा कहा गया कि सक्षम न्यायालय में जाकर चाराजोही करें जिसकें बाबत प्रार्थी के लिये आवश्यक हुआ कि वह वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करें।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे वर्णित भूमि में प्रार्थी के कब्जेकाश्त मे मजाहमत नही करे न ही बेदखल करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मन्दिर श्री सीताराम जी ग्राम मण्डालिया जोगा की खातेदारी रही है। उक्त भूमि मन्दिर माफी की भूमि है जिसकी शाश्वत मूर्ति नाबालिग बहसीयत मन्दिर श्री सीताराम जी खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर मन्दिर के पुजारीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि से अर्जित आय से मन्दिर की पुजा जिर्णोद्वार आदि किया जा रहा है। उक्त भूमि को हडपने की नियत से नारायणी का गोद पुत्र बनकर झुठा दावा पेश किया है। प्रार्थी गंगा सहाय के नाम अपने पिता की अन्य संपति नाम लग चुकी है जिसमे गोद पुत्र नही है। प्रार्थी ग्राम भांकरोटा तहसील फागी का रहने वाला है। उक्त भूमि का पर्चा सेटलमेन्ट समव् 2011 में मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम जारी हुआ है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृक सम्पति नही है। बल्कि मन्दिर श्री सीताराम जी की खातेदारी की भूमि है उक्त भूमि की राज्य सरकार मालिक है। पुजारीगण अप्रार्थी संख्या 2 उक्त आराजी को कास्त करते आ रहे है मुस्तमा कोयली व रूघनाथ कभी मन्दिर के पुजारी नही रहें प्रार्थी ने तथ्य छुपा कर तथ्य पेश किये

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

है जो कानूनन प्रारम्भीक स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजी मन्दिर माफी की भूमि होने से राज्य सरकार के परिपत्र एवं जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक राजस्व/91/3753/दिनांक 11/92 से पुजारी का नाम हटाकर मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया गया है उक्त आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार नही है, इसलिये भी प्राथना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनो बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष मे साबित है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हरजा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी 1, 2, 3 तरफ से पैरोकार सरकार ने मूल वाद मे जवाब दावा पेश किया तथा इस प्रार्थना पत्र मे जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर वकिल उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया की वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी समवत् 2069 से 2072 राजस्व रिकार्ड मे मन्दिर श्री सीताराम जी नाम दर्ज रिकार्ड है इसलिये प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल न होकर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे प्रबल है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19/05/2017 कोर्ट कैम्प झाडला मे मजमेआम सुनाया गया।

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर